1

Q.No - 14

M.A.I - Sem II

Subject Code - History CC5

History of Women Study

जनजातीय समाज में महिलाओं के कानूनी अधिकार

जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति उस समाज में प्रचलित आदर्शों, विश्वासों, मान्यताओं व मूल्यों के आधार पर तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों की विभिन्न प्रकृति के अनुरूप होती है।

जनजातीय सामाजिक मान्यता- विवाह के पश्चात लड़की जन्मसिद्ध स्थान छोड़कर दूसरों के जन्मसिद्ध स्थान पर रहती है, इसलिए उसे अचल सम्पत्ति का पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है क्योंकि पैतृक संपत्ति (अचल संपत्ति) का पूर्ण अधिकार देने से पारिवारिक जन्म सिद्ध अधिकार "कुर्सीनामा" भंग हो जाती है। उनमें पारस्परिक ऐतिहासिक तथ्य लुप्त हो जाते हैं। उनमें वंशज का अस्तित्व कुछ नहीं रह जाता है। इस तरह पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूरे गांव में अनेक समस्याएँ आ जाती हैं। ऐसी समस्याओं के चलते खून, जानमाल का खतरा हो चुका है, हो रहा है, और होगा। यही धारणा जनजातीय समाज में व्याप्त है।

अतः पुत्रों को ही पैतृक सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यह प्राग्वैदिक ऐतिहासिक परम्परा है, और देश में शांति और विकास के लिए परमावश्यक है।

संपत्ति संबंधी अधिकार- मुण्डा, हो, संथाल, उरांव, खड़िया जनजातियों में

महिलाओं के कानूनी अधिकार

पुरुष उत्तराधिकार की मृत्यु के उपरांत उनकी पैतृक संपति उनके पुत्रों को प्राप्त होता है।

इन जनजातियों के मृत व्यक्ति की भू-सम्पति पर उसकी विधवा का स्वामित्व का हक नहीं होता है, किंतु अपने जीवनकाल तक या जब तक उसका अन्यत्र विवाह नहीं हो जाता है, तब तक अपने मृत पति के जमीन का उपभोग करने का हक होता है, किंतु यदि मृत पति से कोई पुरुष संतान है तो वह पुरुष संतान अपने मृत पिता की भू-संपत्ति के स्वामित्व का हकदार होगा।

मृत पिता की भू-सम्पति का बंटवारा जब उनके पुत्रों में, पुरुष संतानों में होता है तो अविवाहित पुत्रियों के भरण-पोषण के लिए अपने पिता की भू-संपति में से कुछ भाग आवंटित की जाती है। कुछ आदिम जनजातियों में इसे "खीरपों" कहा जाता है। इस आवंटित भू-सम्पति पर पुत्रियों के स्वामित्व का हक नहीं होता है। उनके विवाह हो जाने या अविवाहित मृत्यु हो जाने पर आवंटित भूमि उनके भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है।

यदि किसी व्यक्ति को पुरुष संतान न हो और उसका कोई भाई भी न हो तो ऐसी स्थिति में उसकी भूसम्पति पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पिता के भाइयों में या उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके पुरुष संतानों में बंटवारा हो जाता है।

जब किसी आदिम जाति व्यक्ति को कोई

महिलाओं के वारसी अधिकार

पुत्र न हो, कोई भाई अथवा चाचा न हो या खानदान का कोई निकट पुरुष वारिश न हो तो ऐसे व्यक्ति की भू-संपति उनके गोत्र के जातीय समाज को गाँव के प्रमुख (मुण्डा, मानकी, महतो) की निगरानी में चली जाएगी और गाँव के प्रमुख उस मूल व्यक्ति के गोत्र के किसी व्यक्ति को उसकी भू-संपति का बंदोबस्त कर देगा।

जब कोई जनजाति पुरुष अपनी जाति के बाहर किसी महिला से विवाह कर लेता है और उसके पुरुष संतान पैदा होता है तो उन्हें पिता की मृत्यु के बादभी भू-सम्पति का स्वामित्व का हक नहीं मिलता है। किंतु उराँव जनजाति में पुरुष संतान को हक मिलता है।

अवैध पुत्र को पैतृक संपति में कोई अधिकार नहीं होता है।

आदिवासी समाज में पोष्य पुत्र को पैतृक सम्पति में कोई अधिकार नहीं होता है।

घर दामाद या जमाई को मुण्डा एवं हो समाज में भू-सम्पति पर उत्तराधिकार का हक नहीं होता है। किंतु उरांव, खड़िया तथा संथाल जनजातियों में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त घर दामाद को भू-सम्पति पर उत्तराधिकारी का हक स्वीकार किया गया है। किंतु ऐसे घर दामाद को अपने पिता की पैतृक सम्पति का उत्तराधिकारी का हक नहीं होता है।

उराँव जनजातीय समाज में किसी व्यक्ति की प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद अपने ही समाज

Scanned with CamScanner

जनजातीय महिलाओं के कानूनी अधिकार

के आधार दूसरा विवाह करने की स्थिति में प्रथम पत्नी के पुरुष संतान की दूसरी पत्नी के पुरुष संतान से भू-सम्पत्ति में से अधिक हिस्सा पाने का हक है।

राजनैतिक भागीदारी —

आदिवासी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी भी बहुत कम है। विधायिका न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में झारखंड की आदिवासी महिलाओं का योगदान नगण्य है। अतः स्वयं सेवी संस्थाओं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं को उनकी जीविका सम्मान एवं अधिकार के संबंधों में काफी सहयोग दिया है।

इस प्रकार स्वयं सेवी संस्थाएँ महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाकर उन्हें कानूनी अधिकार जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों एवं शिक्षा एवं ~~बच्च~~ आर्थिक गतिविधियों की जानकारी दिलाती है। सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग कर रही है, ताकि महिलाएँ अपने अधिकारों को समझें और संघर्ष करें।

—— ०० ——

A. Ku...
Deptt. of Hist.
DSPMU

Scanned with CamScanner

© No-15

M.A.I Sem II

History CC-5

History of Women Study

जनजातीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका

जनजातीय आंदोलन विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुए और इनमें महिलाओं का योगदान सराहनीय है। बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं का आदिवासी आंदोलनों में भाग लेने का सिलसिला आदिवासी महासभा से शुरू होता है। इन आंदोलनों में इनका जनाधार व्यापक था। वस्तुतः समाज परिवर्तन और सांस्कृतिक सामयता के बचाव की वाहक स्त्रियाँ रही हैं। कोई भी संघर्ष इनकी भागीदारी के बिना पूर्ण नहीं हुए।

सन् 1760 ई० से लेकर 1947 ई० तक के भारत की आजादी तक साउथ ईस्ट फ्रंटियर में जो संघर्ष हुए, स्त्री भागीदारी के बिना पूर्ण नहीं हुए। आदिवासी अस्मिता का प्रश्न हो या जंगल-जमीन पर परम्परागत हक व या सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की रक्षा का सवाल या फिर साम्राज्यवादी विरोध की अगुवाई का मुद्दा, आदिवासी स्त्रियों ने विद्रोह में बराबर की भूमिका निभाई। परम्परागत आदिवासी समाज पर बाहरी लोगों के हमले के विरुद्ध हथियार औरतों ने भी उठाए।

सन् 1760 ई० में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिरकासीम से वर्दमान, चटगांव और मेदिनीपुर जिले पर भी अधिकार प्राप्त किये। इसके बाद शोषण और उत्पीड़न की नींव भी पड़ गई।

Scanned with CamScanner

मेदिनीपुर पर अपना कब्जा जमाने में आदिवासी किसानों से लंबा संघर्ष चला जिसमें किसानों की स्त्रियों ने भी भाग लिया।

1766-67 में जब लेफ्टिनेंट फर्ग्युसन ने घाटशिला पर चढ़ाई की, तब उसे घाटशिला किले पर कब्जा जमाने में कठोर परिश्रम करने पड़े। अंग्रेजों के साथ हुए संघर्ष में महिलाओं ने सक्रियता और सहयोग देकर राजा एवं सैनिकों का हौसला बढ़ाया। अंततः 1777 ई० में अंग्रेजों को राजा जगन्नाथ को धालभूम का राजा मानना पड़ा।

आदिवासी इलाकों में जैसे-जैसे अंग्रेजों ने कदम बढ़ाया, विद्रोहों का सिलसिला चल पड़ा। 1788-90 में पहाड़िया विद्रोह, 1798 में चुआड़ विद्रोह, 1800 में चेरो विद्रोह, 1820-21 में हो विद्रोह, 1831-33 ई० में कोल विद्रोह और 1895-1900 में बिरसा उलगुलान ने संघर्षों का इतिहास रच दिया। इन विद्रोहों के मुख्य कारणों में जमीन-जीविका की छिनतई, जबरन राजस्व वसूली, जंगल से बेदखल करना, जमीनों पर जमींदारों का दखल, तथा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार के कारण आदिवासियों ने जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और रक्तरंजित विद्रोह किए।

आदिवासी महिलाएं भी जुझारूपन और आक्रमकता दिखाने में पीछे नहीं रहीं। वे तमाड़ विद्रोह, तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू, चांद-भैरव, बिंदराय-सिंदराय, नीलाम्बर-पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, बुद्धु भगत, बिरसा उलगुलान व जतरा ताना आंदोलन की संघर्ष के हर दौर में स्त्रियों ने समाज बचाने

में पुरुषों का साथ दिया, बल्कि कहीं-कहीं तो पुरुषों से अगुवाई भी छीनकर अपने हाथ में ले लिया।

रोहतासगढ़ के दुर्ग में हुए आक्रमण का मुकाबला सैनिक वेश में स्त्रियों ने किया। रोहतासगढ़ किला पर फतह करने के लिए तीन बार तुर्क सेना का हमला हुआ, तीनों बार औरतों ने सैनिक वेश धारण किए और तुर्क सेना को पराजित किया।

अंग्रेजों ने जब आदिवासी इलाकों में घुसपैठ किया तो इलाका आंदोलित हो उठा। अंग्रेज कमिश्नर (ई० टी० डाल्टन ने लिखा है कि आदिवासी इलाकों में उन्हें 'जीतना' पड़ा। रक्तरंजित आदिवासी विद्रोह औरतों की साझेदारी के बिना न पूर्ण रहा और न वह ऐतिहासिक समृद्धि पा सका। आदिवासी विद्रोही अगर ब्रिटिश फौज के सामने झुके नहीं तो सिर्फ इसलिए कि औरतों ने पीठ पर बच्चे बांध हाथों में हथियार ले अपने मर्दों का साथ दिया। संथाल विद्रोह (1855-56) में दस हजार से अधिक लोग मारे गए। संथाल दल के नायक सिद्धो-कान्हू, चांद भैरव के साथ उनकी दो बहनें फूलो और झानो ने योद्धा की भांति अंग्रेज शत्रुओं से मुकाबला किया। रात को तलवार लेकर निकली फूलो और झानो ने अंग्रेजों के शिविर में जाकर २१ सिपाहियों की हत्या की।

ताना भगत आंदोलन के पश्चात

लहराने वाले जतरा भगत को 1914 ई० में गिरफ्तार कर डेढ़ साल की कैद की सजा दे दी गई। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी देवमनी-बंधनी ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लिया तथा इसका विस्तार रांची-हजारीबाग तक किया। देवमनी के नेतृत्व में हजारों आदिवासी टाना पंथी हुए।

इसके अलावा औरतों की व्यापक भागीदारी ने सत्याग्रह आंदोलन को नया तेवर दिया। शांतिपूर्ण व प्राण देने के संकल्प से सत्याग्रह आंदोलन चलाकर आदिवासी औरतों ने टाना भगत आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। "जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे" के गगनभेदी नारे सर्वत्र गूंजने लगे।

बिरसा उलगुलान संघर्ष के हर कदम पर स्त्रियों की व्यापक भागीदारी पाई गई। उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा का साथ स्त्रियों ने कभी नहीं छोड़ा। चम्पी और साली नामक विद्रोही स्त्रियाँ हर वक्त बिरसा की रक्षा की। शहीदों की सूची में बनकन मुंडा, मझिया मुंडा और डुनडुंग मुंडा की पत्नियों का उल्लेख है, जो जिकरी गांव की रहने वाली थीं।

इस प्रकार संघर्ष करते हुए संथाल हूल (1855-56) में फुलो और झानो देवी, बिरसा उलगुलान में मांकी, बनकन मुंडा, मझिया मुंडा और डुनडुंग मुंडा की पत्नी, थीगी, नागी, लेम्बु, साली तथा चम्पा, टाना भगत आंदोलन में देवमनी बंधनी तथा रोलताभगत के संघर्ष में लिलगी दई और कैवली दई की भूमिका सराहनीय रही।

R. Kumari